

फर्द अहकाम

बनाम

रक्षित

शंकर

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

127/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
24/4/23		पत्रावली पेश हुई। न्यायालय द्वारा पत्रावली लेना कार्य रद्द किया गया है। पत्रावली की जांच नहीं की जा रही। पत्रावली दिनांक 25.4.23 को पेश है। 2
24/4/23		पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्ण आधारानुसार दिनांक 25/4/23 का पेश है। 2
25/4/23		पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की काउन्सिलिंग के प्रा-पत्र 07 R11 CPC पर पुनः बहल सुनी गई। पत्रावली वास्तु आदेश प्रा-पत्र 07 R11 CPC क्रि.सं. 02/05/2023 से पेश है। 2
02/5/23		पत्रावली वास्तु आदेश प्रा.पत्र 07 R11 काउन्सिलिंग में प्रस्तुत पेश हुई। वादी अधिवक्ता गैर हाजिर वादी स्वयं गैर हाजिर। न्यायालय समय बक बार-बार आवाजें लगावाई गई परन्तु ना ती वादीगण उपस्थित हुई ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता आदि उपस्थित है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 है।

8

फर्द अहकाम

शंकर

बनाम रामेश

आयालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

वाद/प्रार्थना पत्र/सुकदमा नम्बर :

दावा

127/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

आधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र 07R11 CPC पर उभयपक्ष आधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी गई

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का भवलोचन करने एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त वादी। प्रार्थी का प्रा.पत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

चूंकि वादी आधिवक्ता एवं वादीगण आज अनुपस्थित हैं इससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण इस वादपत्र को आगे चलाने नहीं चाहते हैं ऐसी स्थिति में इस वादपत्र को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः वादीगण का वादपत्र अदम्य जारी अदम्य पैखी में खारिज किया जाता है।

2/5/23

फर्द अहकाम

शंकर

बनाम

रक्षक

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

५०५

127/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
		<p>पत्रावली नम्बर १ से काम होकर ब्राद तकमील दाखिल दफ्तर</p> <p>सहायक कलक्टर बस्सी जिला मजरा २/५/२३</p>	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ० २० रूल ६-७ जाप्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीछसीन अधिकारी:- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल चाद संख्या:- 127/2023
जीसीएमएस नम्बर :- 2023/

1. शंकर पुत्र नाथू
2. मांगीलाल पुत्र नाथू
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम जट्याड़ा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

--वादीगण

--: बनाम :-

1. रमेश पुत्र रामचन्द्र
2. रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र
3. शंकर पुत्र रामचन्द्र
4. मूलचन्द्र पुत्र कजोड़
5. रामकल्याण पुत्र कजोड़
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र कजोड़
7. तीजा देवी पत्नि कजोड़
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम जट्याड़ा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
8. रामपति पुत्री कजोड़ पत्नि भगवान, जाति माली, निवासी ग्राम अट्ट्य बजौरी, तहसील भांडारेज, जिला दौसा।
9. भगवती पुत्री कजोड़ पत्नि सीताराम, जाति माली, निवासी ग्राम हरिपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
10. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
11. सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

काउण्टर क्लेम बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कल्टई रुबरु दावा व हाजिरी -----
मिनजानिब मुद्धई रुबरु ----- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर
हुयम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

8/5/25

वादीगण का दावा अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तथा काउण्टर वलेम में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की एकपक्षीय बहस सुनकर वादीगण का उचित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर वलेम खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निज----- मुबलिग----- बाबत् ----- खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह-----फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ----- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 02.05.25 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

मुद्धई	रुपया	पैसे	मुद्धायलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर बाबत् इजराय			फीस कमिशनर बाबत् इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

दस्तखत

मुहर

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।